



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 24 मार्च, 2005
चैत्र 13, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 479/सात-वि-1-1(क)3-2005
लखनऊ, 24 मार्च, 2005

अधिसूचना
विविध

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 23 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

जायेगा।

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा

संक्षिप्त नाम एवं
प्रारम्भ

करे।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत

उत्तर प्रदेश ऐक्ट
संख्या 15 सन् 1948
की धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ढ) में शब्द, अंक और अक्षर "अतिरिक्त कर और धारा 7-घ के अधीन स्वीकार की गई समाधान धनराशि" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "अतिरिक्त कर और धारा 7-घ के अधीन स्वीकार की गई समाधान धनराशि और राज्य विकास कर" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-क या 3-घ" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-क, धारा 3-घ या धारा 3-ज" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 3-ज का
बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3-छ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"3-ज (1) ऐसे व्यापारियों पर, जिनका कुल व्यापारवर्त, जैसा कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, 50 लाख रुपये से अधिक हो, उनके करयोग्य व्यापारवर्त पर एक प्रतिशत से अनधिक दर से जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे, राज्य विकास कर लगाया जायेगा। राज्य विकास कर इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर के अतिरिक्त वसूल किया जायेगा। यह कर राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन जारी विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(2) धारा 7-घ के अधीन समाधानयोग्य माल के सम्बन्ध में कर के समाधान की सुविधा राज्य विकास कर के सम्बन्ध में भी उपलब्ध होगी;

(3) राज्य विकास कर का समायोजन धारा 4-क के अधीन जारी पात्रता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट मौद्रिक सीमा में किया जायेगा।

(4) निम्नलिखित पर राज्य विकास कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा:—

(क) समाचार पत्रों पर और ऐसे मालों या व्यापारियों पर जिन्हें धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट या विज्ञापित किया गया हो;

(ख) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन घोषित माल;

(ग) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिये दायी माल;

(घ) ऐसे माल, जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।"

धारा 4-क का
संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (1) में शब्द "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "इस अधिनियम की धारा 3-ज के उपबन्धों के सिवाय किन्हीं अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी" रख दिये जायेंगे।

धारा 4-कक का
संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 4-कक में शब्द "इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "इस अधिनियम की धारा 3-ज के उपबन्धों के सिवाय किन्हीं अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे व्यापारियों, जिनका कुल व्यापारावर्त पचास लाख रुपये से अधिक हो, के करयोग्य व्यापारावर्त पर, कतिपय छूट के अधीन रहते हुए, एक प्रतिशत से अनधिक दर पर राज्य विकास कर अधिरोपित करने की व्यवस्था की जाय। यह भी विनिश्चय किया गया है कि उक्त कर उक्त अधिनियम की धारा 3-ज के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 479 (1)/VII-V-1-1(Ka)3-2005

Dated Lucknow, March 24, 2005

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 23, 2005.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT)

Act, 2005

(U.P. Act no. 9 of 2005).

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

It IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2005.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 hereinafter referred to as the principal Act, in clause (n), for the words, figure and letter "additional tax and the composition money accepted under section 7-D" the words, figure and letter "additional tax, and the composition money accepted under section 7-D and the State Development Tax" shall be substituted.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1948

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for the words, figures and letters "section 3-A, 3-D" the words, figures and letters "section 3-A, section 3-D or section 3-H" shall be substituted.

Amendment of section 3

4. After section 3-G of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of a new section 3-H

"3-H. (1) There shall be levied a State Development Tax at the rate not exceeding one per cent of the taxable turnover as the State Government may by notification specify on the dealers whose aggregate turnover as referred to in sub-section (2) of section 3, exceeds fifty lakh rupees. The State Development Tax shall be realised in addition to the tax payable under any other provision of this Act. This tax shall cease to be levied after a period of five years from the date of publication of the notification issued by the State Government under this section.

(2) The facility of composition of tax in relation to compoundable goods under section 7-D shall also be available in respect of State Development Tax;

(3) The State Development Tax shall be adjustable in the monetary limit specified in the eligibility certificate issued under section 4-A.

(4) No State Development Tax shall be leviable on,—

(a) the news papers and other goods or the dealers specified or notified under section 4;

(b) declared goods under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(c) the goods liable for the payment of additional excise duty;

(d) such goods as may be specified by notification by the State Government.”

Amendment of
section 4-A

5. In section 4-A of the principal Act, in sub-section (1) for the words, “Notwithstanding anything contained in this Act”, words, figures and letter “Notwithstanding anything contained in any other provisions except the provisions of section 3-H of this Act” shall be *substituted*.

Amendment of
section 4-AA

6. In section 4-AA of the principal Act, for the words, “Notwithstanding anything contained in this Act”, the words, figure and letter “Notwithstanding anything contained in any other provisions except the provision of section 3-H of this Act” shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to augmenting the revenues of the State it has been decided to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 to provide for imposing State Development Tax at the rate not exceeding one percentum on the taxable turnover of the dealer whose aggregate turnover exceeds fifty lakh rupees subject to certain exemptions. It has also been decided that the said tax shall be effective for five years from the date of publication of the notification to be issued under section 3-H of the said Act.

The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.